न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

1—अपील संख्या 23/2017

विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति अरोडा निवासी सिंगरासर हाल 2082 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोडेंन्ट

2—अपील संख्या 32/2017

विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति अरोडा निवासी सिंगरासर हाल 2082 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र उदाराम जाति बैरागी निवासी सिगरासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956
अपील सं. 23/2017 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर
दि. 05.01.1978

अपील सं. 32/2017 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
दिनांक 26.10.1977

उपस्थिति—
श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 1.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अपील सं. 23/2017 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश एफ41(5)( )रेवन्यू/77—132—133 दिनांक 05.01.1978 जिसके रूह से एकपक्षीय रूप से , बिना क्षेत्राधिकार के अपीलांट को आंटनशुदा रकबा वाके चक मोकलसर के ख.नं. 134 की 55.07 बीघा रकबा निरस्त किया गया है।

(A) अपीलांट ने अपील सं. 32/2017 उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 26.10.1977 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा रेस्पों/किशनलाल को

चक सिगरासर के ख.नं. 134 की 55.07 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

(B) उक्त दोनों आदेशों से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपीले पेश की हैं। अपीलों के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील सं. 23/17 के सम्बन्ध में अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर विधि विरूद्ध पारित किया गया है। विवादित भूमि दिनांक 11.06.66 को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटन उपरांत विधिनुसार हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जा सौंप दिया था। तहसीलदार सरतगढ द्वारा 40 आवंटियों की एक सूची उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को प्रेषित की गई और उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.1977 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को पुष्टि हेतु भिजवाई गई। अधी.न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के एवं सुनवाई का अवसर दिये सीधे ही आवंटन आदेश निरस्त की पुष्टि कर दी। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील सं. 32/2017 के सम्बन्ध में अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा थी जो विधि विरूद्ध तरीके से बिना कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.1977 को पारित किया गया है जबकि दिनांक 26.10.1977 को प्रश्नगत कृषि भूमि शुद्ध रकबा राज ही नहीं थी। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि का आवंटन बिना पूर्ववर्ती आवंटन के निस्रती किये पारित होने से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे अथवा वैकल्पिक रूप से अपीलांट को अन्य रकबा आवंटन का निर्देश दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उक्त दोनों अपीलों के साथ देरी को माफ करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्र पेश किये हैं जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट के दफा के प्रा.पत्र स्वीकार करने का श्रम करें।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं है वह विधिसम्मत है। इसके अलावा अपीलांट ने दोनों अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध अपीलें लगभग कमशः 38 , 39 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः अपीलें मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) मामलों में यह स्पष्ट है कि अपीलांट के आवेदन 11.06.66 को उसे राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा आवंटन किया गया जो दिनांक 23.12.1977 को जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.1977 जोकि 05.10.1977 को ग्रामवासियों की शिकायत पर जांच पश्चात तैयार की गई के आधार पर तैयार 40 आवंटियों के आवंटन निरस्त कर दिये गये।

(b) आवंटन की निरस्ती का आधार ग्राम के वासिंदे ना होना एवं भू राजस्व की बकाया (किश्तें जमा ना करनें) तथा आवंटन नियमों/शर्तों का उल्लंघन बताया गया तथा आवंटन लगभग 10 वर्ष बाद निरस्त कर दिये गये

(c) तत्पश्चात उक्त भूमि किसी अन्य किशनलाल पुत्र बुदाराम बैरागी को 1977 में आवंटन की दी गई।

(d) अपीलांट ने अपने पूर्व में वर्ष 11.06.1966 को बहाल कराने व किशनलाल बैरागी को हुए 1977 के आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील 20.11.2013 को उक्त भूमि काश्त करने हेतु जाने पर उक्त आदेशों की जानकारी होने पर दिनांक 23.03.2017 को अर्थात 42 वर्ष बाद अपीलें पेश की जो अत्याधिक विलंब से पेश की है।

(e) इसी मामलें में यद्यपि अपीलांट ने स्वयं ने अपने अपील मीमों में तो हवाला नहीं दिया किन्तु अधी. न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि दिनांक 20.11.93 को अब्दुल मजीद बनाम सरकार अपील में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 22.10.77 के उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के इसी प्रकार के आदेश को निरस्त किया गया। क्योंकि अपीलांट द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही समय रहते की हो ऐसा सन्तुष्टिकारक जबाव नही है कि उसने क्या प्रयास किये या वह क्यों अपने अधिकार को प्राप्त करने हेतु उदासीन रहा? क्योंकि अपीलांट जानता था कि यदि वह उक्त तथ्य को रेखांकित करेगा तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय का स्वाभाविक प्रश्न होगा कि अपीलांट स्वयं इस मामले में तत्पर क्यों नहीं रहा? चुंकि अपीलांट तत्समय राजकीय सेवा में था और वह जानता था कि वह भूमि प्राप्त करने के अपने दावे में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने जानबूझकर देरी की और अपने रिटायरमेंट (सेवानिवृति तक) चुप्पी साधे रखी।

अपीलांट का तर्क कि विलंब से अधिकार समाप्त नहीं होते सारहीन है। यद्यपि विलंब अधिकार का समाप्त नहीं करता किन्तु वह अनावश्यक विलंब को न्यायालयों के द्वारा उपचार प्राप्त कराने में बाधक है। इसलिए विलंब से क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र में अपीलांट को प्रत्येक दिवस के विलंब को तार्किक व स्वस्थ, सारभूत आधारों पर साबित करके न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए। किन्तु जहां विलंब अयुक्तियुक्त, बिना आधारों के तथा अत्याधिक अर्थात 43 वर्ष की देरी, वह भी अपीलांट के स्वयं के आचरण से प्रदर्शित है। न्यायालय उसके अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ है। जहां कि घटनायें व परिस्थितियां पूर्णतः बदल गयी हो व अन्य सदभाविक आवंटी के हितों पर कुठाराघात होता हो, वहां न्यायालय को विवेकपूर्ण निर्णय हेतु अग्रसर होना आवश्यक है।

(f) दूसरी और स्वयं अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों के मद सं. 8 मे वर्णित तथ्यों के अनुसार वर्ष 1966 उक्त आवंटन से 1977 में आवंटन निरस्ती के पश्चात या उस बीच उसका चयन पुलिस सेवा में चयन हो गया और अब वह सेवानिवृत हो चुका है। तत्पश्चात जानकारी होने से अपील की है।

यह तथ्य इस पूरी अपीलों के लिये उसके पक्ष का पोषण नहीं करता ना ही उसके विलंब का आधार प्रस्तुत करती। अपितु उसके स्वयं के कृत्य व आचरण को प्रदर्शित करती है कि वह बरवक्त आवंटन से ही अपने आवंटन के प्रति सावचेत नहीं था। क्योंकि वह गांव में निवास नहीं करता था व ना ही सदभावी काश्तकार था व न शर्तों का पालन किया व किश्तें जमा नहीं कराई। अतः कानून अपने ही अवधानता पूर्वक कृत्य करने वाले व सोये हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता।

(g) अपीलांट के स्वयं के कथन विरोधाभाषी है। यह स्पष्ट प्रकट है कि उसने राजकीय सेवा में चयन पर उक्त सेवा की और अब वह सेवानिवृत हो चुका है तो उसे ध्यान आया कि उसकी आवंटित भूमि भी है जो पहले खारिज हो गयी व अन्य को आवंटित भी हो चुकी है, नितांत असम्बद्ध व अतार्किक हास्यास्पद कहानी है। वह उसकी मंशा को स्पष्ट करती है।

(h) अपील अत्याधिक विलंब 42 वर्ष से पेश की गयी है। विलंब का कोई ठोस कारण नहीं दिया। अपितु चुंकि वह पुलिस सेवा में चयनित हो गया था। अतः भली भांति अपनी सेवा को करना चुना व रिटायर भी हो चुका है। वह जानता था सेवा में रहने के दौरान उसे अनिश्चित विलंब व सद्भावी काश्तकार होने का समुचित, ठोस, युक्तियुक्त कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रस्तुत करना होगा। इसलिए प्रतीत होता है उसे सभी तथ्यों की जानकारी थी और जब सेवा से मुक्त हुआ तो सोचा विलंब में श्रमा का प्रा.पत्र दे कर अपील कर ली जावे। यह स्वयं में अन्य सद्भावी आवंटी व राज्य सरकार के लिये क्षुब्दकारी कृत्य है।

उपरोक्त कारणों से उक्त दोनों अपीलें अत्याधिक विलंब से बिना सारभूत ठोस कारणों के क्षुब्धकारी व अनावश्यक है। प्रार्थी द्वारा स्वयं अपना आवंटन व उसकी निरस्ती के तथ्य की जानकारी थी। इस बीच उसने राजकीय सेवा की और ये अपीलें पेश की। अपीलें निरस्ती योग्य पाते है। अधी. न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं। अपीलांट चुंकि सेवा में कर्मचारी रहा इसलिए उसे उपहासात्मक व उदाहरण स्वरूप दण्ड राशि 1/– रूपये कोस्ट लगाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर